INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 - 9809 (online) ISSN 2348 - 9359 (Print)

A REFEREED JOURNAL OF



Shri Param Hans Education & Research Foundation Trust

www.IRJMSH.com www.SPHERT.org

Published by iSaRa

फर्रुखाबाद के कांशीराम शहरी गरीब आवासों पर अवैध कब्जों का विवेचन



डॉ.नीत् सिंह तोमर एम.ए.,पी-एच.डी.(समाजशास्त्र), पोस्ट डॉक्टोरल फेलो. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली-110002

सारांश:-शहरी गरीबों को आवास पूर्ति हेतू कांशीराम शहरी आवास प्रबंधन, आबंटन, लाभार्थी के लिए जो मानक एवं प्रावधान निर्धारित हैं उनकी उपेक्षा से राज्य-समाज पर अच्छे-बुरे प्रभावों के आंकलन की आवश्यकता महसूस करते हुए मैंने कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आवंटी-निवासियों की स्थितियों, निगरानी तथा प्रबंधकीय एवं मानकीय व्यवस्था के प्रदर्शित वर्तमान स्वरूपों पर कालोनियों का अवलोकन आवश्यक समझा है। इसी आधार पर मैंने उ.प्र.के कानपुर मंडल के फर्रुखाबाद जिले में बनी कांशीराम शहरी गरीब आवासों योजना के अन्तर्गत निर्मित 1500 आवासों जिनमें बंधौआ—फतेहगढ के 36, टाउनहाल के 168 एवं हैवतपूर गढ़िया के 1296 आवास शामिल है, समस्त आवासों में जाकर निरीक्षण-अवलोकन एवं जनसंपर्क किया तथा सभी आवासों के आवंटियों, निवासियों, परिवारों, प्रतिपाल्यों पडोसियों से वार्ता कर स्थिति एवं समस्याओं से संबंधित ब्यान दर्ज किए तथा औपचारिक—अनौपचारिक माध्यम से विभागों एवं संस्थाओं से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर तथ्य संकलित किए। सरकारी आदेशों, संहिताओं एवं कांशीराम शहरी आवास व्यवस्थाओं का अध्ययन एवं अवलोकन से प्राप्त जानकारी के आंकडों पर विचार करके मैंने यह जानने का प्रयास किया कि क्या कांशीराम शहरी गरीब आवासों का आवंटन, आवंटी, निवासी, सुविधाएं, प्रबंधन, निरीक्षण, व्यवस्थाएँ आदि मानक युक्त हैं या नहीं।

की-वर्डः आवंटी-जिन्हें आवास जारी हुए, निवासी-वैध-अवैध रूप से रहने वाले, निराश्रित-अनाथ, ब्लाक–आवास संग्रह

उत्तर प्रदेश में कांशीराम शहरी गरीब आवास के प्रथम चरण / प्रथम वर्ष-2008-2009 में 101000 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया। 60 अधिकतम शहरी जनसंख्या वाले जनपदों में प्रति जनपद 1500 आवासीय इकाइयों का प्रथम चरण / वर्ष में निर्माण कराया गया तथा शेष 11 जनपदों में प्रति जनपद 1000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कराया गया। जिन जनपदो में प्रथम चरण में 1500 आवास बनाए गए वहाँ 10 एकड भूमि तथा जिन जनपदों में 1000 आवास प्रति जनपद बनाए गए वहाँ 07 एकड भूमि उपलब्ध कराई गई। यदि किसी जनपद में एक साथ भूमि उपलब्ध नहीं हुई तो टुकड़ों में भूमि उपलब्ध कराई गई परन्तु भूमि की कुल उपलब्धता उपरोक्तानुसार 10 एकड़ एवं 7 एकड़ से कम नहीं ली गई। यदि संबंधित मंडलायुक्त या जिलाधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उपरोक्त संदर्भित स्नातों से भूमि योजनान्तर्गत उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों में योजना के लिए भूमि सीधे क्रय की गई उक्त क्रय की कार्यवाही संबंधित जिलाधिकारी की देखरेख में स्निश्चित की गई।

योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित डिजाइन एवं क्षेत्रफल के अनुसार भवनों का निर्माण कराया गया। प्रत्येक आवासीय इकाइयों का कुल कुर्सी क्षेत्रफल के (प्लिन्थ एरिया) 35 वर्ग मीटर तथा आवासीय इकाई 2 कमरे, किचिन, लेट्रिन व बालकनी (छज्जे) बनाई गई।

चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत आबंटित किए जाने वाले आवास का अधिकतम मूल्य रू.175000 प्रति आवास रखा गया। इसमें अवस्थापना स्विधाओं पर व्यय सम्मलित रहा। चूंकि यह योजना समयवद्ध थी, अतः किसी भी प्रकार की मूल्य में वृद्धि अनुमन्य नहीं हुई। इन भवनों का निर्माण नो प्राफिट-नो लॉस पर किया गया। इसके निर्माण परि किसी भी कार्यदायी संस्था को कोई ओवरहैड तथा अन्य कोई व्यय नहीं दिया गया।

भवनों का निर्माण अनिवार्यरूप से कम-से-कम 3 मंजिला कराया गया। भवन को ब्लाकों में विभाजित किया गया। ब्लाकों का निर्धारण आवासों के लिए बनी जीनों के आधार पर किया गया। भवनों के प्रत्येक जीने से संबंधित आवासों के संग्रह को ब्लाक कहा गया। ब्लाकों में प्रत्येक तल पर 4 आवास जिनमें 2 आवास सीढियों के बाएं एवं दाएं तथा 2 आवास उनके पीछे बनाए गए। प्रत्येक आवासों में 1 निकास सीढ़ियों की ओर तथा दूसरा निकास मार्ग से जोड़कर बनाए गए। प्रत्येक ब्लाकों के अन्य तलों के आवासों में 1 निकास सीढ़ियों तथा दूसरा निकास छज्जों से जोड़ा गया। इस प्रकार 3 मंजिला भवनों के प्रत्येक ब्लाकों में 12 आवास तथा 4 मंजिला भवनों के प्रत्येक ब्लाकों में 16 आवास बनाए गए।

प्रदेश के जिन जिलों में विकास प्रधिकरण है, वहाँ विकास प्राधिकरण एवं शेष जिले में उ.प.आवास विकास परिषद कार्यदायी संस्था बनाई गई। स्थानीय परिस्थितियों के देखते हुए जनपद में जिलाधिकारी शासन की अनुमति से किसी अन्य शासकीय संस्था को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित करा सके थे।

''योजना के अन्तर्गत आवास निराश्रित विधवाओं, निराश्रित विकलागों एवं दरिद्रता रेखा के नीचे रहने वाले शहरी दरिद्रों को उपलब्ध कराए कराये जाएंगे। उक्त 3 श्रेणियों के सभी आवंटियों में से 23% भवन अनु.जाति / जनजातियों, 27% भवन पिछडे वर्गों तथा शेष 50% भवन सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित किए गए। योजनान्तर्गत लाभार्थियों को आवासीय भवन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।"

आवंटन हेत् जिलाधिकारी द्वारा लाभार्थियों की सूची उपरोक्त कोटिड में उल्लेखित दिशा निदेशों के अनरूप सूची को ठीक से बनाए जाने का उत्तरदायित्व पूर्णतया जिलाधिकारी का है तथा यथासमय उन्हीं के द्वारा लाभार्थियों का आवंटन एवं लीज की कार्यवाही की जाती है। यदि जिलाधिकारी चाहें तो आवासों के आवंटन एवं लीज करने की कार्यवाही हेत् किसी स्थानीय शासकीय संस्था की सहायता ले सकते हैं परन्तू सही प्रकार से आवंटन एवं लीज करने हेतु उत्तरदायित्व पूर्णतया जिलाधिकारी का ही है। जिलाधिकारी यदि उचित समझे तो डूडा की सहायता ले सकते हैं। लाभार्थी आवंटित भवन का कब्जा / लीज किसी व्यक्ति को कब्जा / लीज डीड की तिथि से कम से कम 10 वर्ष तक स्थानान्तरित नहीं कर सकेगा। यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो सर्वप्रथम भवन का कब्जा उसके पति / पत्नी को एवं पति एवं पत्नी की मृत्य होने पर पुत्र / पुत्री को स्थानान्तरित हो सकेगा।

कांशीराम शहरी आवास योजना में निर्माण उपरान्त आंतरिक अवस्थापना स्विधाओं का रख-रखाव (सड़क, मार्ग प्रकाश, पेयजल, साफ सफाई आदि) सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा किया किया जाता है। योजना के अन्तर्गत आवंटियों को गृहकर, जलकर से संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा मुक्त रखा गया है।

Vol 7 Issue 12 [Year 2016]

योजना के नियंत्रण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेत् जनपद स्तर पर एक समिति गठित होती है, जिसकी संरचना— 1 जिलाधिकारी, अध्यक्ष, 2 अपर जिलाधिकारी, सचिव, 3 जिलाकोषाधिकारी, सदस्य, 4 मंडल के सहयुक्त नियोजक, सदस्य, 5 अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सदस्य, 6 अधिशासी अभियंता, जल निगम, सदस्य, 7 स्थानीय नगर निकाय के नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, सदस्य, 8 स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष / सचिव, सदस्य, 9 जिलाधिकारी के विवेकानुसार उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी, सदस्य होते हैं।

उक्त समिति जनपद में योजना अनुश्रवण करती है। कार्यदायी संस्था द्वारा आमंत्रित टेण्डर के सम्बन्ध में निविदा की स्वीकृति का अंतिम अधिकार अपरोक्त समिति का रहा है। योजना की गुणवत्ता के साथ समयान्तर्गत क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी का रहा है।

शासन द्वारा जनपद को जिलाधिकारी के माध्यम से कांशीराम शहरी आवास योजना में आवंटित धनराशि एकम्श्त उपलब्ध कराई गई, जिसका वित्त पोषण पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा किया गया। जिलाधिकारी द्वारा भी एकमुश्त धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गई।

योजना का प्रदेश स्तर पर नियंत्रण / क्रियान्वयन / अनुश्रवण के लिए नगर विकास विभाग नोडल एवं नियंत्रग विभाग है। नगर विभाग के नियंत्रण में प्रदेश स्तर पर एक प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन यूनिट (पी. आई.यू.) का गठन किया गया जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। जिसका मुख्य अधिकारी निदेशक, पी.आई. यू. है। कार्यकारी निदेशक के पद पर प्रादेशिक सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के सक्षम अधिकारी को तैनात किया गया। पी.आई.य में 3 परियोजना अधिकारी को तैनात किया गया, जिसमें 1 परियोजना अधिकारी वित्त क्षेत्र से, 1 अभियंत्रण क्षेत्र से तथा 1 टाउन प्लानिंग क्षेत्र से बनाया गया। वित्त से सम्बन्धित परियोजना अधिकारी के पद पर वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर तैनाता किया गया। शेष 2 परियोजनाधिकारियों की तैनाती संविदा के आधार या प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई। पी.आई.यू. में कार्यकारी निदेशक के साथ 1 प्रोग्रामर कम टाइपिस्ट तथा 1 सहायक स्टाफ रखा गण। इसी प्रकार तीनों परियोजना अधिकारियों को एक-एक प्रोग्रामर कम टाइपिस्ट अनुमन्य हुए। इन सभी की तैनाती संविदा के आधार पर की गई। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सुरक्षा, सफाई तथा अन्य रख-रखाव का कार्य पूर्णतया संविदा के आधार निर्धारित किया गया। पी.आई.यू. में कोई नहीं भर्ती नहीं की गई और न ही किसी अधिकारी का संविलियन किया गया। किसी अतिरिक्त स्टाफ / मानव संसाधन की आवश्यकता पडने पर शासन के नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

पी.आई.यू. का अस्तित्व योजना के पूर्ण होने तक ही रहा। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त पी.आई.यू. स्वतः समाप्त हो गई। परियोजना का अनुश्रवण, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण पी.आई.यू. द्वारा किया गया। शासन स्तर पर परियोजना के ओवरआल अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में वित्त, नियोजन, आवास एवं राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव तथा कार्यकारी अधिकारी, पी.आई.यू. की एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति बनाई गई।

शहरी गरीबों को आवास पूर्ति हेतु कांशीराम शहरी आवास प्रबंधन, आबंटन, लाभार्थी के लिए जो मानक एवं प्रावधान निर्धारित हैं उनकी उपेक्षा से राज्य-समाज पर अच्छे-ब्रे प्रभावों के आंकलन की आवश्यकता महसूस करते हुए मैंने कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आबंटी-निवासियों की स्थितियों,

निगरानी तथा प्रबंधकीय एवं मानकीय व्यवस्था के प्रदर्शित वर्तमान स्वरूपों पर कालोनियों का अवलोकन आवश्यक समझा है। इसी आधार पर **मैंने उ.प्र.के कानपुर मंडल के फर्रूखाबाद जिले में बनी कांशीराम** शहरी गरीब आवासों योजना के अन्तर्गत निर्मित 1500 आवासों जिनमें बंधौआ—फतेहगढ के 36, टाउन हाल

आवश्यक समझा है। इसी आधार पर **मैंने उ.प्र.के कानपुर मंडल के फर्रूखाबाद जिले में बनी कांशीराम शहरी गरीब आवासों योजना के अन्तर्गत निर्मित 1500 आवासों जिनमें बंधौआ—फतेहगढ़ के 36, टाउन हाल के 168 एवं हैवतपुर गढ़िया के 1296 आवास शामिल है, समस्त आवासों में जाकर निरीक्षण—अवलोकन एवं जनसंपर्क किया तथा सभी आवासों के आवंटियों, निवासियों, परिवारों, प्रतिपाल्यों पड़ोसियों से वार्ता कर स्थिति एवं समस्याओं से संबंधित ब्यान दर्ज किए तथा औपचारिक—अनौपचारिक माध्यम से विभागों एवं संस्थाओं से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर तथ्य संकलित किए। सरकारी आदेशों, संहिताओं एवं कांशीराम शहरी आवास व्यवस्थाओं का अध्ययन एवं अवलोकन से प्राप्त जानकारी के आंकड़ों पर विचार करके मैंने यह जानने का प्रयास किया कि क्या कांशीराम शहरी गरीब आवासों का आवंटन, आवंटी, निवासी, सुविधाएं, प्रबंधन, निरीक्षण, व्यवस्थाएँ आदि मानक युक्त हैं या नहीं।**

फर्रुखाबाद जनपद की कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आवंटियों-निवासियों का वर्तमान स्वरूप:

फर्रुखाबाद जनपद के कांशीराम शहरी गरीब आवासों के अधिकांश आवंटी एवं निवासी फर्रुखाबाद नगर क्षेत्र अथवा फर्रुखाबाद जनपद के मूल स्थानीय निवासी नहीं हैं और न ही कांशीराम शहरी आवासों के आवंटन में निर्धारित पात्रता के मानक अनुरूप है तथा योजना मानक प्रतिकूल अधिकांश आवंटी तथा निवासी पैतिक लेंटर, जमींन, प्लाट, मोटर साइकिल, फ्रिज, कूलर, दूकान, नौकरी सहित चल-अचल संपत्ति के स्वामी हैं। इसके बावजूद इन आवंटियों एवं निवासियों तथा गैर जनपदीय / प्रदेशीय / गैरक्षेत्रीय सक्षम लोगों ने अपने सगे-संबंधियों के आवास में अपना पत्राचार पता लिखकर तथा मूल निवास सहित अपनी वास्तविक चल-अचल संपत्ति को छुपाकर अपने को फर्जी गरीब प्रदर्शित कर कांशीराम शहरी गरीब आवास आवंटन पाने में सफल रहे। इन आवंटियों में अनेक ऐसे भी हैं जिन्होंने पति, पत्नी, माता, पिता, भाई, बहिन, सास, बहू, लड़का आदि नाम से अनेकों आवास हासिल करने में सफलता पाई है। इन फर्जी गरीबों द्वारा लिए गए अधिकांश आवासों को मोटी रकम लेकर 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध को नोटरी कराकर तथा अपने नाम के आवंटन प्रपत्रों को देकर बाहरी व्यापारियों, नौकरी वालों, अपराधियों आदि को बेचा गया है, जिनमें बड़ी मात्रा में खरीददारी किए कब्जेदार अवैध रूप से निवासी बने हुए हैं। अधिकांश लगभग 80–90% निवासी ऐसे हैं जिनके पास उपलब्ध आबंटन प्रपत्नों को मनमाने ढंग से दलालों या संगठित पेशेवर अपराधियों द्वारा भर कर मोटी रकम लेकर दिया जाना प्रमाणित है। इस कार्य को संपादित करने वाले तहसील कर्मी, लोकवाणी केंद्र के मालिक, वकीलों एवं उनके दलाल, व्यापारी, नेता, एन.जी.ओ. संचालक, पत्रकार आदि निवासी बनकर अपराधिक गतिविधियां संचालित करते मिले या बताए गए। अनेक आवासों में लगे तालों के आवंटियों के बारे में पता चला है कि इन आबंटियों के निजी मकान हैं और वे अपने निजी मकान में सपरिवार रहते हैं एवं जब कभी यहाँ ऐस करने आते हैं। कुछ आवासों को किराए पर भी उठाया गया है। अधिकांश आवासों में कूलर, फ्रिज, हीटर, कपड़ों की प्रेस, डिस, रंगीन टी.बी, इन्वर्टर, सोफे, कीमती बेड, मोटर साइकिल आदि का स्वामित्व सहित पैत्रिक मकान, जमीन, प्लाट, संपत्ति नगर एवं गाँव स्थित हैं। कुछ बाहरी जमींदार लोगों ने डेरी-गाय-भैंस, दुकान, गैरेज व्यापार आदि से अतिक्रमण कर गंदगी फैला रखी है। आवासों में संचालित ज्ञानशाला स्कूलों का व्यापार सरकारी स्कूलों की शिक्षा एवं गरीबों के घातक है। इनकी दहशत एवं उपद्रव से वास्तविक गरीब ब्री तरह से प्रभावित व उत्पीड़ित हो रहा है।

'जनसामान्य' के लिए बनी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक विकास की योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन के अवलोकन-निरीक्षण के परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्य जन के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाएं एवं साधन स्वार्थी, विध्ववंशक, नाशक, धनी, ढगों और संगठित अपराधियों की सुख-सुविधाओं तथा आय के साधन बन गए हैं। इस संबंध में निरीक्षण तथ्य यह बताते हैं कि दरिद्र, असहाय, निरीह, पीड़ित, दु:खी, वृद्ध, बीमारी ग्रसित लोगों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं हैं और यदि कोई ऐसे लोगों की सहायता करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधी उसे समूल नष्ट करने में कोई कसर शेष नहीं रखते हैं।

मानक विहीन व्ययवस्था ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। कांशीराम शहरी गरीब आवासों में फर्रुखाबाद नगर क्षेत्र के वास्तविक दरिद्रों यथा भडगड़ों, भिखारियों, कंजडों, जोगियों, नटों, असहाय विधवाओं, असहाय विकलांगों का अभाव एवं अपात्रता से कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना व उसके उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। कांशीराम शहरी गरीब आवासों का विक्रय, अवैध कब्जा, अवैध व्यापार, अपराधिक गतिविधियाँ, अराजकता, फर्जी गरीब बने रहीसों का कब्जा, अवैध वसूली आदि से देश की विकास योजनाएं ब्री तरह प्रभावित हो रहीं है। सरकारी कार्यों के विज्ञापनों में दिखावा ज्यादा हो रहा है तथा गरीबों एवं उनके प्रतिपाल्यों के हितों की उपेक्षा एवं शोषण अधिक रहा है। सरकारी योजनाओं का संचालन भारी फर्जी गरीबों एवं संबंधित अधिकारियों व नेता–दलालों के वित्तीय लाभ एवं अनियमितताओं का व्यवसाय बन गया है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियंत्रण अति आवश्यक है।

कांशीराम शहरी गरीब आवासों में मानक प्रतिकूल बने आवंटियों एवं अपात्र निवासियों तथा अवैध कब्जाधारकों को तत्काल आवासों से निकाल (बेदखल) कर उनके विरुद्ध वैधानिक दंडनीय कार्यवाही होनी चाहिए। निजी लेंटरधारियों, गांव-नगर में चल-अचल या पैतिक संपत्ति, व्यापारियों, नौकरी करने वालों, मूल निवास-पता छुपाकर अपनी पत्नी के घर का निवास बताकर आवास पाने वालों, सक्षम व्यक्ति द्वारा पति या पत्नी की नाम से आवास पाने वालों, फ्रिज-कुलर-मोटरसाइकिल-व्यापार-प्लाट धारकों, माता-पिता-पुत्र-पत्नी द्वारा अलग-अलग अनेक आवासों के आबंटनों, गैरजनपदी, गौरप्रादेशीय, गैर क्षेत्रीय लोगों के आबंटन, आवासों के क्रय–विक्रय–किराए के आधार पर निवासियों के कब्जों के विरूद्ध तत्काल दंडनीय कार्यवाही करके आबंटन निरस्त किया जाना चाहिए। जनसाधारण के हितों के संरक्षण एवं स्ंरक्षा हेत् शिक्षा के मानक एवं प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है।

तालिका–1 फर्रुखाबाद जनपद के काशीराम शहरी गरीब आवासों के निर्मित भवनों एवं उनके निवासियों की स्थिति

क्रम	योजना	स्थल	कुलब्लाक	ब्लाक आवास	निरीक्षितआवास	आवंटीस्थिति	निवासियोंकीस्थिति	विशेष निष्कर्ष
1	शहरी	हैवतपुर	81	16	1296	लाक / बेंचपलायन	क्रयकर अवैधकब्जे	८०–९०%अपात्र
	गरीबआवास							
2	शहरी	टाउनहाल	14	12	168	लाक / बेंचपलायन	क्रयकर अवैधकब्जे	70–85%अपात्र
	गरीबआवास							
3	शहरी गरीब	बंधौआ	3	12	36	लाक / बेंचपलायन	क्रयकर अवैधकब्जे	75-80%अपात्र
	आवास							
कुल	शहरी	फर्रुखाबाद	98	4तल / 3तल / 3तल	1500	लाक / बेंचपलायन	क्रयकर अवैधकब्जे	७५–८७ अपात्र
	गरीबआवास							

तालिका–2

निरीक्षण-जनसंपर्क अनुसार, फर्रूखाबाद जिल के काशीराम शहरी गरीब आवासों के निर्मित भवनों एवं आबंटियों की स्थिति

क्र	योजना	स्थल	आवास	ब्लाक	आवासआवंटियों की वर्ग स्थिति अज्ञात सामा, पिछडे अन जजा,	आबंटियोंकी धर्म स्थिति हिंदु मुस्लि सिख ईसा	आबंटियों की जाति स्थिति
1	शहरीगरीबआवास	हैवतपुर	1296	81	212, 536, 437, 95, 06	964, 329, 02, 01	अनु.धो.९,बा.४,कठे17, कसई६,पासी1,जाट६६,कंज7,नट1 पिछडाअहीर8,बढई15,कहार110,कुर्मी1,लोधी21,तंबोली 14,भुर्जी,26,पाल12,पट1,तेली12,काछी28,नाई27,चिक1

IRJMSH	Vol 7 Issue 12	Year 2016	ISSN 2277 – 9809	(Online)) 2348–9359 (Print)


														,माली1, कुंहार24,मला1, लु.2.धुनह18,मिन14,फकी9, रंगे6 सामठाकुर12,कुष2,पमार2, चौह13, रठौर11, सोम2,भदौ4 , शुक्ल15, दुवे16, तिवरी16,मिश्र35,दीक्षत1, पांठे4, पंडित2 6,पाठ1,चौबे2,जोषी2,अवस्थी2, बाज3,अग्निहोत्री3, गौड 2,वैष्य50काय21,सुनार39,शिया2,खान13,शेख11,बवर्ची 2,मिसी1, मिर्जा6,हलवई4,पठान129,सिद्दीक6,दर्जी4सुमी 1,सैयद19,उरमा1,अंसार50,हारमी3अब्बास4सिख1ईस1
2	शहरीगरीबआवास	टा.हाल	168	14	16,	7,	40,	103,	02	164,	04,	00,	00	अनु.धोबी5,बाल्मी7,कठे9,कोरी17,,जाटव64,कंज1,नट4 पिछडाखटिक1,बढई3,काछी3,लोधी3,भुर्जी1,कहार22,
														कुर्मी1,नाई4,अहीर1,अज्ञता7जिनमें1पिछडा,1अनुसूचित सामान्य पंडित1,ठाकुर1,सुनार1,पठान4,शेषविवरणनहीं
3	शहरीगरीबआवास	बंधौआ	36	3	27,	0,	0,	09,	00	9,	00,	00,	00	अनुसूचितजाति ९, पिछडा ०, सामान्य ०, अज्ञात–२७
	कुल गरीबआवास	फर्रुखा	1500	98	255,	543,	477,	206,	08	1141,	00,	02,	01	अनुजा.२०६, पिछ.४७७,सामा.५४३,जनजा.८,अज्ञात २५५

तालिका-3

निरी	क्षण-जनसंपर्क अनुसार,		शीराम शहरी गरीब आवासों के		की स्थिति
क्र	स्थल / विवरण	बंधौआ—फतेहगढ के	हैवतपुर गढ़िया	कुल योग	
		आबंटी एवं निवासियोंकी स्थिति	आबंटी एवं निवासियों की स्थिति	आबंटी एवं निवासियों की स्थिति	-
1	कुल आवास	36	168	1296	1500
2	कुल ब्लाक प्रत्येक तलीय आवास	3	14	81	98
3	प्रत्यक तलाय आवास भवन की मंजिलें	3	<u>4</u> 3	4	3/4
5	आवंटी–निवासी विवरण मिला	9	152	1081	1145
6	आवंटी–निवासी विवरण न मिला	27 (लाक)	16 (लाक)	212 (लाक)	255 (लाक)
7	आबंटी-निवासी सामान्य वर्ग	0	7	536	543
8	आबंटी-निवासी पिछडा वर्ग	0	40	437	477
9	आबंटी—निवासी अनु,जातिवर्ग	9	103	95	207
10	आबंटी—निवासी अ.जन.जातिवर्ग	0	2	6	8
11	आबंटी–निवासी अज्ञात जातिवर्ग	27 (लाक)	16 (लाक)	212 (लाक)	255 (लाक)
12	आबंटी-निवासी हिन्दू मिले	9	152	964	1125
13	आबंटी–निवासी मुस्लिम मिले	0	4	329	333
14	आबंटी-निवासी सिख मिले	0	0	2	2
15	आबंटी-निवासी ईसाइ मिले	0	0	1	1
16	तला बंद मिले अवास	27	39	349	415
17	आबंटी द्वारा बेंचे गए सर.आवास	अज्ञात	४१ (स्वीकृतकथन)	185 (स्वीकृतकथन)	226
18	झोपडी डालकर अवैध कब्जा	0	13	11	24
19	पश्—डेरी व्यापार—अतिफ्रमण	1	1	3	5
20	गैरेज,दूकान,तोड़फोड कर कब्जा	1	14	 15 प्लस	30 प्ल स
21	आवासों में कुत्ता पालन केंद्र	0	1	0	1
22	आवास ज्ञानशालास्कूलकों रेंटपर	0	0	5	5
23	आवास में ब्यूटीपार्लर व्यापारकेंद्र	0	3	2+	5+
24	सरकारीप्राइमरी / जूनियर स्कूल	अभाव	अभाव	अभाव	अभाव
25	सरकारी स्वास्थ्य मातृ सुरक्षाकेंद्र	0	0	0	0
26	आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन	नहीं मिला	नहीं मिला	नहीं मिला	ō
27	समिति—प्रशासनिक निगरानी	उपेक्षा	उपेक्षा	उपेक्षा	उपेक्षा
28	राशन कोटा–वितरण दूकान	अज्ञात	अज्ञात	यदाकदाखुलती—अनियमित	अनियमित
29	पुलिस सुरक्षा केंद्र / पुलिसचौकी	उपेक्षा	उपेक्षा	कर्मचारी विहीन पुलिस चौकी	उपेक्षा
31	उपभोक्ताओंद्वारा राशन उपभोग	संदिग्ध	संदिग्ध	तेल–अनाज व्यापारी को बेंचते	दुरूपयोग
32	आवंटी,निवासी की वर्तमानस्थिति	अधोलिखित	अधोलिखित	अधोलिखित	अधोलिखित
33	(1) अन्य राज्यों के निवासी	0 (27 का विवरण अज्ञात)	5	अनेक(पत्नीमाइके,फजी पतेपर	अधिकांश
34	(2) अन्य जनपदों के निवासी	0 (27 का विवरण अज्ञात)	15	44+ (पत्नीमाइके,फजी पतेपर	अधिकांश
35	(3) अन्य नगर—क्षेत्र के निवासी	0 (27 का विवरण अज्ञात)	19	29+(पत्नीमाइके,फजी पतेपर	अधिकांश
36	(4) जनपदके ग्रामों के निवासी	7 (27 का विवरण अज्ञात)	5	33+(पत्नीमाइके,फजी पतेपर	अधिकांश
37	(5) आवंटी एन.जी.ओ.संचालक	0	0	9	9+
38	(5) आवंटी धनी परिवार	,	-	17	17
39	(6) आवंटी होमगार्ड जवान		2	2	4
41	(6) शराबी—उपद्रवी		-	2	2+
42	(7) आवासों का दुरूपयोग करते		12	271	283+
43	(8) आवंटी स.रा.दूकान कोटेदार			1	1
44	(9) बाहरी व्यक्ति		43+	141+	184
45	(10) बडे रहीस / रहीस		9+	113	122
46	(11) सरकारी शिक्षक		3	4+	7+
47	(12) विद्युत कर्मी नौकरी			2+	2
48	(13) फ्रिज,कूलर,डिस,मो.सा.गैस	6	अधिकांश निवासी—परिवारों के पास	173फ्रिज,46कूलरखुलेमेंरखेमिले	60से90प्रकेघर
49	(14) स्वास्थ्य विभाग चपरासी	1	-	सी.एम.ओ.फर्रुं,1, अस्पताल 1	3
50	(15) ग्राम सभा के सफाई कर्मी		3	-	3

51	(16) सभासद की माता-पिता		1सभासद का बेटा	1+ (भाई–परिजन आदि)	2+भाई आदि
52	(17) पैतिृक लेंटर मकान स्वामी	5 (27का विवरण नहीं मिला)	10	6	21
53	(18) प्राईवेट नौकरी	2	37	7	46
54	(19)डबलआवंटन / अनेकआवास			32	32+
55	(20) सक्षम परिवार	2	5 के लंडके सक्षम	228	235+
56	(21) अति संदिग्ध व्यक्ति			4	4
57	(22) दूकानदार / व्यापारी	1	49	22	72
58	(23) भोग विलास की वस्तुएं		डिस,रंगीनटी.वी.आदि अधिकांशघरमें	डिस,रंगीनटीवीआदिअधिकांश घर	अधिकांशघरमें
59	(24) व्यापार केन्द्र			7	7
60	(25) आबंटी—निवासीकेफर्जीप्रपत्र		अधिकांश	स्टांप,फोटोस्टे,नोटरी,वोटरकार्ड	अधिकांशप्रपत्र
61	(26) अपराध/अराजक केंद्र			2	2
62	(27) नाबालिग को आबंटन			1 जिसके माता पिता सक्षम	फर्जीबाडा
63	(28) नर्स—कंपाउडर			3	3
64	(29) आंगनबाड़ी कार्यकत्री / सहा		3	2+	5+
65	(30) फर्रुखाबाद नगर में लेंटर		31+	192	213+
66	(६) आवासों पर अवैध कब्जा		42+	28 9 	331+
67	(6) गांवों में जमीन,मकान,संपत्ति	4	7	33+	44+
68	(6) निजी टेंपो मालिक		3	19	22
69	(6) गरीब—असहाय		1भिखारी,६मजदूर,1मूक,३अन्य,1असहाय	45	57
70	(६) ठेकेदार⁄राजनेता		1नगर पालिका फर्रुखाबाद में ठेकेदार	बीएसपी.,सपा के अध्यक्ष आदि	फर्जीगरीबबने
71	(6) पत्रकार / दलाल	1 मुंशी कचहरी फतेहगढ	1 पत्रकार, अनेक दलाल, तहसीलमुंशी	फौजी,6पत्रकार,1आरटीओआ,मुशी	10+
72	(6) सरकारी नौकरी	1 समाज कल्याण विभाग,	2 उत्तर प्रदेश पुलिस	1डूडा विभाग फर्रुखा.मेंचालक	4

मानचित्रः कांशीराम शहरी गरीब आवास हैवतपुर गढिया, जनपद फर्रूखाबाद, उ.प्र.



निष्कर्ष-निरीक्षण-जनसंपर्क सहित संलग्नक निरीक्षण-तालिका के निष्कर्ष स्वरूप प्रमाणित है कि फर्रूखाबाद जनपद के कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आबिटेंयो एवं निवासियों में लगभग 80% से 90% मानक प्रतिकूल एवं अपात्र हैं और फर्जी प्रपत्रों एवं फर्जी गरीब बनकर आवास कब्जाधारक बने हुए हैं तथा

मानक अनुरूप पात्र दरिद्रों का अभाव है। इस स्थिति की पूर्ण संभावनाओं से उ.प्र. के अन्य जनपदों के कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आवंटनों एवं निवासियों की स्थिति से नकारा नहीं जा सकता है।

सुझाव—फर्रूखाबाद सहित सभी जनपदों के कांशीराम शहरी गरीब आवासों के मानक प्रतिकूल एवं अपात्र आबिटियो और निवासियों तथा फर्जी प्रपत्रों एवं फर्जी गरीब बनकर आवासों में अवैध—कब्जा धारकों के विरूद्ध बेदखल सहित दंडनीय एवं वसूली वैधानिक कार्यवाही तत्काल होनी चाहिए। फर्जी गरीबों एवं अपात्रों के आवंटनों तथा खरीद—फरोख्त कर अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों एवं अवैध कब्जेदारों सहित आवास क्रय—विक्रय करने वालों के विरूद्ध दंडनीय वैधानिक कार्यवाही तत्काल होनी चाहिए। अपात्र—अवैध कब्जेदारों को बेदखल कर पात्र दरिद्रों को उक्त आवासों का आवंटन होना चाहिए। जनसाधारण के हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेत् मानकों—प्रावधानों का अनुपालन जबाबदेह होना चाहिए।

संदर्भ सूची

- (1) मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, आदेश संख्या 5376/9-5-08-153सा/08, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ, दिनांक 24 जुलाई 2008
- (2) प्रमुख सचिव उ.प्र.शासन, आदेश संख्या 2219/8—2—11—87,मा.का.यो./11,आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग—2,लंखनऊ, दि.8 अगस्त 2011
- (3) प्रमुख सचिव उ.प्र.शासन,आदेश संख्या 2230/8–2–247,सा0/8 टी.सी.–1,आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2,लखनऊ, दि.9 अगस्त 2011
- (4) फर्रुखाबाद जिले के कांशीराम शहरी गरीब आवासों के आवंटी—निवासी की स्थितियों का निरीक्षण अवधि दि.11 मई 2017 से 12 जुलाई 2017

Earn By Promoting Ayurvedic Products

Arogyam Weight Loss Program



Arogyam herbs for weight loss



Follow Arogyam diet plan for weight loss



Arogyam healthy weight exercise schedule



Mobilize stubborn fat



Shri Param Hans Education & Research Foundation Trust www.SPHERT.org

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726 WWW.BHARTIYASHODH.COM



INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P) WWW.IRJMST.COM



INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE ISSN 2319 – 9202 WWW.CASIRJ.COM



INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P) WWW.IRJMSH.COM



INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY ISSN 2454-3195 (online)



WWW.RJSET.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE AND INNOVATION



WWW.IRJMSI.COM